तामील में जारी हुए

3/5/12

आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाये करीकेन उप. प्रा० पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के कब्जे व खाते की कृषि आराजी ख०नं० 297 रकबा 1.25 है, ख०नं० 298 रकबा 0.28 है, ख०नं० 366 रकबा 0.16 है, ख०नं० 367 रकबा 0.04 है व ख०नं० 368 रकबा 0.20 है कुल 5 किता रकबा 1.93 है स्थित है। जिस पर अप्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर वादीनी के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से प्रार्थीया को परेशान कर रहे हैं अतः अप्रार्थीगण को ताकैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी न करें।

प्रार्थीया का प्रा० पत्र

दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण की ओर जवाब प्रा० पत्र मय का०३०२२ क्लेम प्रस्तुत किया गया। का०३०२२ क्लेम में प्रा० पत्र के कथनों को अप्रार्थीगण द्वारा अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीया की प्रा० प्रा० पत्र में वर्णित आराजी पर व्यवधान नहीं किया है अपितु प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खाते की आराजी ख०नं० 302 व 303 रकबा 0.86 है एवं 0.70 है कुल 1.56 है पर दखलअंदाजी करने का प्रयास किया है। अतः का०३०२२ क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का व्यवधान करे, इस बाबत ताकैसल अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

किस्म मुकदमा......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इ...
	प्रार्थीया द्वारा अपने प्रा० पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2066-69, नकल नक्शा। ट्रेस एवं मौका रिपोर्ट विवादित आराजी के पेश किए। प्रा० पत्र एवं का13.22 क्लेम पर उभयपक्ष वकुलाये करीकैन की बहस सुनी गई। प्रा० पत्र, काउन्टर क्लेम एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीया विवादित आराजी पर नामा. सं 293 दिनांक 16/6/09 से खातेदारी अधिकार क्रेता की हैसियत से प्राप्त कर चुकी है अतः मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष में है सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति सम्बन्धी बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में है अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत का13.22 क्लेम में अप्रार्थीगण भी विवादित आराजी ख० नं० 302 एवं 302 के कब्जे काश्तकारी है अतः प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में भी पाया जाता है उपरोक्त विवेचन की रोशनी में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजियों के कब्जेधारी हैं। अतः प्रार्थीया का प्रा० पत्र एवं अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है प्रार्थीया की खातेदारी आराजी ख० नं० 297, 298, 366, 367, 368 में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अंदाजी नाजायज वाद नहीं करेंगे। अप्रार्थीगण को अस्थायी

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।
साथ ही काउन्टर क्लेम स्वीकार कर
ता फैसला द्वारा प्रार्थीया को अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि
वह अप्रार्थीगण की आराजी ख० नं० 302
एवं 303 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप
नहीं करे। फैसला सरे इजलास सुनाया
गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर
नम्बर से कम की जाकर मूल दावे
के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2019.11.28 12:25:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: